बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 7 स्था0 (9) 02/2017...................... **दिनांक** -

प्रेषक,

डॉ0 जागृति प्रसाद सिंह,
संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।

सेवा में,

श्रीमति रूपा देवी,
साकिन–माधोपाड़ा, थाना–के० हाट,
पूर्णियाँ।

प्र०प०वि०-6
8/6/18

विषय :– अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं पेंशन न देने के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार की केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण व्यवस्था (सी0पी0 ग्राम) के अधीन प्राप्त आवेदन संख्या–PMOPG/D/2018/0144874, दिनांक–16.04.2018

अवर सचिव कोषांग
पत्र संख्या 124
दिनांक 08/6/18
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–4107 (नि0), दिनांक–04.12.2017 एवं पत्रांक–107 (नि0), दिनांक–11.01.2018 के द्वारा संबंधित कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। जिसके फलस्वरूप संबंधित सहायक निदेशक (प0 वि0) लघु पशु विकास परियोजना, पूर्णियाँ–सह–जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ ने अपने पत्रांक–11/प0पा0, दिनांक–15.01.2018 के द्वारा मामले में वस्तुस्थिति से पूर्ण अवगत कराते हुये साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन सभी संबंधितों को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी एक प्रति आपको भी प्रेषित है।

सहायक निदेशक (प0 वि0) लघु पशु विकास परियोजना, पूर्णियाँ–सह–जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्र में स्पष्ट है कि स्व0 बिहारी दास, लघु पशु विकास परियोजना कार्यालय, पूर्णियाँ में जीप चालक के पद पर कार्यरत थे, स्व0 दास की मृत्यु सेवा काल में दिनांक–17.03.2007 को होने के पश्चात् अंचल पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र एवं अन्य प्राप्त अभिलेख के आधार पर स्व0 बिहारी दास के पुत्र श्री राजेश दास को मृत्युपोरान्त सभी लाभों का भुगतान किया गया है एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति दिया गया है। चूँकि स्व0 दास के पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो गयी थी तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियाँ बालिग थे, के कारण पेंशन देय नहीं था। इस संबंध में पूर्व के पदाधिकारियों के द्वारा जाँच प्रतिवेदन भी उच्चाधिकारी को भेज चुके है।

श्री बिहारी दास के सेवा काल में मृत्यु होने के पश्चात् देय सभी लाभों का भुगतान कार्यालय द्वारा उनके पुत्र श्री राजेश दास को किया गया है तथा उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति भी विभाग द्वारा किया गया है।

श्री विपिन
8/6/18
997
08/06/18

इस संबंध में उनके द्वारा साक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ, पूर्व के ज्ञापांक–402, दिनांक–09.04.2007 द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/कार्यालय–ग्राम पंचायत बेलौरी के पत्रांक–41, दिनांक–24.03.2007 द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/ जिला जन शिकायत कोषांग समाहरणालय, पूर्णियाँ का जाँच एवं अनुवर्त्ती कार्रवाई प्रतिवेदन एवं सी0डब्लू0जे0सी0

संख्या–16912/11 मोसमात रूपा देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में न्यायादेश से संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

अतः इस संबंध में पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1479 (नि0), दिनांक–18.05.2018 द्वारा पूर्व में भी सभी सूचना आपको दी गयी थी। जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि संबंधित कार्यालय से प्राप्त साक्ष्य एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके अनुकम्पा के आधार पर नौकरी एवं पेंशन न देने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, जो आपको सादर सूचनार्थ है।

विश्वासभाजन

ह0/–

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।

ज्ञापांक :– 7 स्था0 (9) 02/2017.....1708 (स्था)..... पटना–15, दिनांक–06/06/2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जनशिकायत, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, सी0पी0 ग्राम0 (सूचना) कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई0–कम्पालायन्स, डैसबोर्ड, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

P Singh
6.6.18

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।

02
07/06/18